संख्या-05 / 2018 / 252 / 84-1-2018-89 / 2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 20 मार्च,2018

विषय:- ईज आफ डूईग बिजनेस के सम्बन्ध में विभागीय कार्यों को ऑन लाइन कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनावंटन/प्रावधान रू0-38;69 लाख को एन0आई0सी0/ संबंधित संस्था के पक्ष में अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-92/निविमावि-लेखा 7(25)आवंटन/2017-18, दिनॉक 23 फरवरी 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर किये गये सुसंगत शासनादेशों/ वित्त लेखा अनुभाग अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्थानुसार, विधिक माप विज्ञान विभाग में ईज आफ डूईग बिजनेस के सम्बन्ध में विभागीय कार्यों को ऑन लाइन कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनावंटन/प्रावधान रू0-38.69 लाख (रूपये अड़तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को एन0आई0सी0/ संबंधित संस्था के पक्ष में अपेक्षित अग्रिम भुगतान की सहमति/स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा।

(2) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत कराये तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-239/दस-18 दिनॉक 19-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2018/252(1)/84-1-2018-89/2017 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in